बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या– पी.आर. 33/2024

माध्यमिक कम्पार्टमेंटल–सह–विशेष परीक्षा, 2023 के मूल प्रमाण पत्र एवं इसके पुनरीक्षण (Scrutiny) का अंक पत्रक, औपबंधिक प्रमाण पत्र तथा क्रॉसलिस्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आपूर्ति तथा इनके वितरण के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा संबंधित सभी छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, माध्यमिक स्तर के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0) एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि **माध्यमिक कम्पार्टमेंटल–सह–विशेष परीक्षा, 2023 के मूल प्रमाण पत्र एवं इसके पुनरीक्षण (Scrutiny) का अंक पत्रक, औपबंधिक प्रमाण पत्र तथा क्रॉसलिस्ट** संबंधित सभी विद्यालय के प्रधान अथवा उनके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत दूत को **दिनांक 28.01.2024** से हस्तगत कराने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में **भेजा जा रहा है।**

2. विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2023 एवं माध्यमिक कम्पार्टमेंटल–सह–विशेष परीक्षा, 2023 के लिए पंजीयन/परीक्षा आवेदन मद में जिन विद्यालयों का शुल्क बकाया है, उसे समिति के वेबसाईट **http://secondary.biharboardonline.com** पर ऑनलाईन अनिवार्य रूप से **दिनांक 05.02.2024** तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

3. माध्यमिक स्तर के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान से अनुरोध है कि अपने विद्यालय से संबंधित **मूल प्रमाण पत्र एवं पुनरीक्षण (Scrutiny) का अंक पत्रक, औपबंधिक प्रमाण पत्र तथा क्रॉसलिस्ट** अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से **दिनांक 28.01.2024 से स्वयं अथवा प्राधिकृत दूत के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।** साथ ही प्राप्त अभिलेखों का मिलान अवश्य कर लेंगे कि विद्यालय के संबंधित सभी परीक्षार्थियों का उक्त अभिलेख प्राप्त हो गया है। साथ ही पैकेट में यदि किसी दूसरे विद्यालय के परीक्षार्थियों का अभिलेख प्राप्त होता हो, तो उसे अग्रसारण पत्र के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में अविलम्ब वापस करना सुनिश्चित करेंगे ताकि संबंधित विद्यालय को प्राप्त कराया जा सके। साथ ही **मूल प्रमाण पत्र एवं पुनरीक्षण (Scrutiny) का अंक पत्रक, औपबंधिक प्रमाण पत्र** अपने विद्यालय के संबंधित सभी परीक्षार्थियों को अविलम्ब प्राप्त करायेंगे एवं इसकी पावती तथा क्रॉसलिस्ट अपने विद्यालय में सुरक्षित संधारित रखेंगे। यदि किसी विद्यालय का वर्णित अभिलेख प्राप्त नहीं होता है, तो विद्यालय के प्रधान संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे ताकि उनके द्वारा अविलंब समिति को अवगत कराया जा सके।

4. यह भी अनुरोध है कि **छात्र/छात्रा के उक्त प्रमाण पत्रादि वितरण करने से पूर्व उसका मिलान विद्यालय में रक्षित अभिलेख से अवश्य कर लेंगे। मिलान कर लेने के उपरांत यदि किसी छात्र/छात्रा के मूल प्रमाण पत्र, मूल पंजीयन कार्ड में त्रुटिपूर्ण फोटो यथा–किसी दूसरे छात्र/छात्रा/व्यक्ति का फोटो मुद्रित हो अथवा फोटो मुद्रित नहीं हो अथवा अस्पष्ट फोटो मुद्रित हो, तो वैसे मूल प्रमाण पत्र एवं पुनरीक्षण (Scrutiny) का अंक पत्रक, औपबंधिक प्रमाण पत्र संबंधित छात्र/छात्रा को हस्तगत नहीं कराया जाय। ऐसे त्रुटिपूर्ण उक्त प्रमाण पत्र संगत साक्ष्य सहित अपने अग्रसारण पत्र के साथ समिति कार्यालय के अकादमिक भवन अवस्थित संबंधित जिला के परीक्षा प्रशाखा (माध्यमिक) में दिनांक 05.02.2024 तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे ताकि उसका सुधार करने की कार्रवाई की जा सके। निर्धारित तिथि तक विवरणी जमा नहीं करने की स्थिति में यदि किसी छात्र/छात्रा के मूल प्रमाण पत्र एवं पुनरीक्षण (Scrutiny) का अंक पत्रक, औपबंधिक प्रमाण पत्र में फोटो संबंधी त्रुटि रह जाती है, तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा और इसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित विद्यालय के प्रधान की होगी।**

5. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका के आलोक में अधीनस्थ संबंधित सभी विद्यालयों के प्रधान को अनिवार्य रूप से निदेशित करना सुनिश्चित करेंगे तथा समिति द्वारा संप्रेषित अभिलेख यथा– **मूल प्रमाण पत्र एवं पुनरीक्षण (Scrutiny) का अंक पत्रक, औपबंधिक प्रमाण पत्र तथा क्रॉसलिस्ट** के वितरण हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही अपने जिलान्तर्गत विद्यालय के प्रधान को पुनरीक्षण का क्रॉसलिस्ट संधारित करते हुए अपने छात्र/छात्राओं को मूल प्रमाण पत्र एवं **पुनरीक्षण (Scrutiny) का अंक पत्रक, औपबंधिक प्रमाण पत्र** अविलंब प्राप्त कराने हेतु स्पष्ट निदेश देंगे।

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)

Scanned with CamScanner